

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक:-94/2015

संस्थित दिनांक-22.04.2013

फाईलिंग नंबर-230303012902013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. रमा उर्फ रमाशंकर पुत्र रामरतन यादव
उम्र 32 साल निवासी लुहारपुरा वार्ड नंबर-2 मौ
2. गुड्डा उर्फ रणवीरसिंह पुत्र बरजोरसिंह यादव
उम्र 45 साल निवासी ब्राह्मण मुहल्ला
वार्ड क्रमांक-5 मौ थाना मौ

-----आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक

आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीरसिंह द्वारा श्री बी0एस0 यादव अधिवक्ता ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **21 जून-2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण रमाशंकर एवं गुड्डा उर्फ राजवीर के विरुद्ध धारा-342, 392, 392/397 सहपठित धारा-34 भा0द0सं0 एवं धारा 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.02.2013 को शाम के 6.30 बजे ग्राम इटायली पंचायत भवन के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर सामान्य आशय को अग्रसर करने में परिवादी कल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय पर उसी की बंदूक तानकर उसकी बंदूक लूटी तथा परिवादी को कमरे में बंद करके सदोष परिरुद्ध किया और परिवादी की जेब से नोकिया मोबाइल जिसमें आईडिया की सिम थी, को लूटा।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 17.02.13 को शाम के छः बजे घटनास्थल ग्राम इटायली पंचायत भवन मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि आरोपीगण कस्बा मौ के निवासी हैं। फरियादी प्रभाकर उर्फ बल्लू ग्राम करवास का निवासी है। तथा फरियादी एवं आरोपीगण घटना के पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय दिनांक 17.02.13 को दंदरौआ जाने के लिये अपने गांव से अपनी बारह नंबर बंदूक लेकर घर से बाहर निकला था कि उसे गांव के रास्ते पर ही मौ के गुड्डा यादव और रमा यादव मोटरसाईकिल लिये गांव में ही मिल गये और वह उनके साथ दंदरौआ उनकी मोटरसाईकिल प्लेटिना पर बैठकर चल दिया। वे लोग उसे जीरो रोड से दंदरौआ तरफ न मोड़कर मौ तरफ ले जाने लगे तो उसने कहा कि कहीं ले जा रहे हो, उसे दंदरौआ जाना है, रोको। तब गुड्डा बोला कि चुपचाप बैठा रह। अभी थोड़ी दे में दंदरौआ ही छोड़ देंगे। फिर वे लोग उसे लेकर ग्राम इटायली में शांतिदास बाबा के इटायली स्थित पंचायत भवन के पास ले गये और उसे मोटरसाईकिल पर से उतारकर खड़ा किया। फिर उसे उसे बाबा की कुटिया में ले गये। जहाँ उन्होंने प्रसादी ली कि अचानक गुड्डा ने उसकी बंदूक छीनकर उसकी छाती पर अड़ा दी और उसके साथ वाला रमा बाहर चला गया। गुड्डा बोला मादरचोद यहीं पड़ा रहना और वह बंदूक तानते हुए बंदूक छुड़ाकर लेकर बाहर निकल गया और बाहर से कमरे की कुंदी लगा दी और बंदूक लूटकर मोटरसाईकिल से भाग गये। उन्होंने हल्ला मचाया तो गांव वालों ने कुंदी खोली। कल जैसे तैसे दिन निकलने पर वह सीधा अपने साले अनिल समाधिया ग्राम कचनाववाला थाना गोरमी पहुंचा तथा उन्हें सारी बात बताई जिनको साथ लेकर वह रिपोर्ट को आया है। उसकी बारह नंबर बंदूक जिसका लायसेन्स नंबर-एम0पी0/बी0एच0डी0/07/1/65/2002-2003 से एक बारह बोर बंदूक नंबर-57774 कीमती 60,000/-रूपये दोनों छीनकर लूटकर ले गये हैं और उसकी जेब से नोकिया मोबाईल जिसमें आईडिया की सिम जिसका नंबर-7354170303 है, जिसका मॉडल नंबर-1100 है, वह भी लूटकर ले गये हैं।

4. फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मौ में अप.क्र.-21/13 धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन इत्यादि की कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 342, 392, 392/397 सहपठित धारा-34 भा0द0सं0 एवं धारा 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.02.13 की शाम के 6.30 बजे ग्राम इटायली पंचायत भवन के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र होते हुए फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय की लायसेन्सी बारह बोर बंदूक छीनकर ले जाकर लूटकारित की?
2. क्या सुसंगत तिथि समय व स्थल में आरोपीगण या उनमें से किसी ने फरियादी की छीनी गई लायसेन्सी बंदूक उसी पर तानकर मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट कारित की?

3. क्या आरोपीगण ने फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर को कमरे में बंद करके सदोष परिरोध कारित किया?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना कारित करने का आपस में मिलकर सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में घटना को अंजाम दिया?

—::—निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1 लगायत 4 का निराकरण

7. उपरोक्त चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों में से शांतिदास अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को जानने से इन्कार करते हुए फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय को पहचानना बताया है। किन्तु घटना के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी होने या उसके समक्ष कोई घटना घटित होने से उसने इन्कार करते हुए पुलिस को प्र0पी0-4 क कथन देने से इन्कार किया है अर्थात् अ0सा0-2 के मुताबिक केवल बाबा शांतिदास फरियादी को ही पहचानता था। उसके द्वारा अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी भी घोषित किया गया है। पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन के किसी तथ्य का साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। जबकि उसे घटना मुताबिक इस आशय का साक्षी बताया गया था कि आरोपीगण और फरियादी को वह पहले से जानता है जो पंचायत भवन इटायली के पास उसकी कुटिया पर आये थे और उन्होंने प्रसादी ग्रहण की थी। उसके बाद आरोपी गुड्डू उर्फ रणवीर फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय की लायसेन्सी 12 बोर दुनाली बंदूक एवं कारतूस छीनकर कुटिया के बाहर से दरवाजे की कुंदी लगाकर चले गये और उसके साथी रमा उर्फ रमाशंकर भी बाहर निकल गये। शोर करने पर गांव के लोगों ने आकर कुंदी खोली फिर फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर वहाँ से चला गया। फरियादी की बंदूक के अलावा मोबाईल भी छीनकर ले जाना बताया था जिसका बाबा शांतिदास अ0सा0-2 ने कोई समर्थन नहीं किया है।
9. अन्य स्वतंत्र साक्षी दीपू अ0सा0-3 जिसे कथानक मुताबिक अनुश्रुत साक्षी बताया गया है और विवेचना में पंच साक्षी बताया गया है किन्तु वह भी पक्ष विरोधी रहा है। उसने भी आरोपीगण को जानने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय उसका चाचा है और उसे घटना के बारे में उसकी चाची ने यह बताया था कि चाचा बल्लू की बारह बोर दुनाली बंदूक छुड़ गयी है। लेकिन उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी रमा ने पुलिस को उसके सामने बारह बोर बंदूक, मोबाईल और मोटरसाईकिल आरोपी गुड्डा यादव के पास होने के बाबत कोई जानकारी दी थी जिसका पुलिस ने प्र0पी0-5 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था। प्र0पी0-5 पर उसने अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किये हैं। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके चाचा फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर ने थाना मौ पर दरोगा जी को अपनी बंदूक का लायसेन्स दिया था। बंदूक लायसेन्स की जप्ती प्र0पी0-3 पर भी उसने अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं। लेकिन हस्ताक्षर कहाँ किये, इस बारे में उक्त साक्षी का स्पष्टीकरण नहीं है। वह यह

जानता है कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे पढ़ लेना चाहिए। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से ऐसा परिलक्षित होता है कि प्र०पी०-3 एवं 5 पर उसने वगैर पढ़े हस्ताक्षर किये। तभी वह दस्तावेजों के तथ्यों के बारे में अनभिज्ञ है। उसके अभिसाक्ष्य में केवल इतना अवश्य आया है कि उसके चाचा बल्लू की बंदूक किसी के द्वारा छीनी गई थी। किसके द्वारा छीनी गई थी, इसकी उसे जानकारी फरियादी के बताने से भी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में प्र०पी०-3 एवं 5 के दस्तावेज की पुष्टि उक्त साक्षी से नहीं होती है।

10. अ०सा०-8 अनिल समाधिया जो कि फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर का साला है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि बल्लू ने करीब तीन साल पहले उसे यह बताया था कि उसकी बंदूक कारतूस का पट्टा, रुपये और मोबाईल किसीने छीन लिये हैं तब वह थाना मौ पहुँचा था। बल्लू ने उसे यह बताया था कि रमाशंकर ने उसकी बंदूक कारतूस, मोबाईल और रुपये छीने हैं जिसके बारे में उसने पुलिस को बयान दिया था। वहीं पर रमाशंकर की गिरफ्तारी होना, रमाशंकर से प्र०पी०-5 का मेमोरेण्डम कथन देते हुए उक्त मोबाईल और मोटरसाईकिल गुड्डा के पास होने की बात बताना कहा है। यह भी कहा है कि उसके बहनोई बल्लू उर्फ प्रभाकर से पुलिस ने बंदूक का लायसेन्स जप्त किया था और उसका प्र०पी०-3 का जप्ती पत्रक बनाया था। प्र०पी०-3 के जप्ती पत्रक के संबंध में फरियादी बल्लू अ०सा०-1 ने भी समर्थन किया है। प्र०पी०-3 की कार्यवाही उपनिरीक्षक विजयसिंह अ०सा०-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में करना बताया है। अर्थात् प्र०पी०-3 के संबंध में फरियादी पंच साक्षी और जप्तीकर्ता के कथनों में समरूपता होकर समर्थन है जिससे प्र०पी०-3 के मुताबिक फरियादी की बंदूक का शस्त्र लायसेन्स जप्त होना प्रमाणित होता है। हालांकि वह लायसेन्स फरियादी के पास सुपुर्दगी में होने से साक्ष्य में प्रदर्शित वस्तु के रूप में नहीं हुआ है। किन्तु इस बिन्दु पर कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय के पास 12 बोर लायसेन्सी दुनाली बंदूक थी जिसकी लूट हुई या नहीं हुई, और आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा की गई या नहीं की गई, इस बिन्दु पर आगे अभियोजन साक्षियों की अभिसाक्ष्य में मूल्यांकन कर विनिश्चय करना होगा।

11. फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय अ०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को घटना के समय से जानना बताते हुए यह कहा है कि घटना एक साल पहले की (कथन दिनांक 04.03.14 से) बताते हुए शाम के करीब 6.00 बजे की बताई है और यह कहा है कि वह अपने घर से दिन के करीब चार बजे पैदल अपनी लायसेन्सी दुनाली बंदूक लेकर दंदरौआ मंदिर के लिये निकला था और शाम करीब 6.00 बजे जब वह जीरो रोड पर पहुँचा तो वहाँ दोनों आरोपीगण उसे मोटरसाईकिल लिये हुए मिले और उससे बोले कि मोटरसाईकिल पर बैठ जाओ वे उसे दंदरौआ पहुँचा देंगे तो वह उनकी मोटरसाईकिल पर बैठ गया। फिर आरोपीगण उसे दंदरौआ न ले जाकर इटायली गांव बाबा शांतिदास के पास ले गये और उसकी बंदूक छुड़ा ली और उसे पंचायत भवन के कमरे में बंद कर दिया और चले गये। सुबह होने पर पंचायत भवन के कमरे की किसी ने कुंदी खोली तब वह बाहर आया और फिर उसने थाना मौ जाकर घटना की प्र०पी०-1 की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मौके पर आकर उसके बताने पर प्र०पी०-2 का नक्शामौका बनाया था तथा उसकी बंदूक का लायसेन्स प्र०पी०-5 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था।

12. उक्त साक्षी ने पैरा-3 में यह भी कहा है कि आरोपीगण के जीरो रास्ते पर

मिलने की बात उसने एफ0आई0आर0 प्र0पी0-1 और पुलिस कथन प्र0डी0-1 में लिखाई थी। पैरा-4 में यह भी कहा है कि घर से निकलने के एक दो घण्टे बाद उसे आरोपीगण मिले थे। उसके गांव से जीरो रोड पांच छः किलोमीटर तथा इटायली गांव आठ दस किलोमीटर है। यह स्वीकार किया है कि वह बाबा शांतिदास को पहले से जानता है क्योंकि वहाँ उसका आना जाना था। आरोपीगण बाबा शांतिदास के यहाँ आते जाते थे या नहीं, यह उसे पता नहीं है। लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि उसने और बाबा शांतिदास ने गांजा पिया था जैसाकि पैरा-5 में कहा है। पैरा-4 में आरोपीगण के सुझाव पर यह स्वीकार किया है कि बाबा शांतिदास के पास आरोपीगण ही उसे ले गये थे। पैरा-5 में उसने यह भी कहा है कि उसे व बाबा शांतिदास को आरोपीगण बंद करके चले गये थे और रात भर बंद होने की बात उसने पुलिस को बताई थी। इस बात से भी इन्कार किया है कि वह तथा आरोपीगण स्मेक पीते थे और स्मेक पीने के दौरान उनकी आपस में लड़ाई हो गयी थी इसलिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण बनाया है।

13. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं का यह तर्क है कि घटना किसी स्वतंत्र साक्षी से समर्थित नहीं है तथा आरोपीगण और फरियादी नशा करते थे। एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनका आपस में विवाद हुआ जिसके चलते फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर ने बंदूक लूट की झूठी कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट कर दी है। एफ0आई0आर0 और न्यायालय की साक्ष्य में विरोधाभास है। एफ0आई0आर0 मुताबिक गांव के रास्ते में आरोपीगण का मिलना बताया है जबकि फरियादी जीरो रोड पर मिलना कहता है। कथानक मुताबिक बाबा शांतिदास की कुटिया पर फरियादी और बाबा शांतिदास को बंद कर देना बताया है। जबकि साक्ष्य में फरियादी पंचायत भवन के कमरे में बंद कर देना कहता है जिसका कोई पंचनामा भी नहीं है। बाबा शांतिदास के साथ गांजे का नशा करने की बात फरियादी ने स्वयं स्वीकार की है। फरियादी नशे का आदी है और उसके चलते ही झूठी कहानी बनाई गई है। इसलिये फरियादी का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और मामला संदिग्ध है। इसलिये उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाये। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजन का तर्क है कि बंदूक लूट की घटना और फरियादी को कमरे में बंद करने की अखण्डनीय साक्ष्य आई है इसलिये आरोपीगण को दोषी ठहराया जाकर दण्डित किया जावे।

14. फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय अ0सा0-1 के उपरोक्त वर्णित अभिसाक्ष्य मुताबिक यह बिन्दु तो स्थापित होता है कि फरियादी और आरोपीगण घटना के पहले से एक दूसरे से परिचित हैं। क्योंकि आरोपीगण की ओर से भी फरियादी के साथ स्मेक पीने के दौरान विवाद होने की बात कही गई है। इसलिये प्रकरण में पहचान का बिन्दु स्थापित है। जहाँ तक स्मेक पीने के दौरान कोई विवाद होने के चलते लूट की घटना असत्य रूप से बताई गई और आरोपीगण को झूठा फंसाया गया, इस बारे में आरोपीगण की ओर से धारा-313 दफ़्तर के तहत पूछे गये प्रश्नों में ही आधार लिया गया है। अभियोजन साक्ष्य के दौरान किसी भी साक्षी पर सुझाव देकर झूठा फंसाये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। न ही कोई बचाव साक्ष्य है। हालांकि दाण्डिक मामले में प्रमाण भार अभियोजन पर ही होता है। फरियादी बल्लू को स्मेक पीने के दौरान लड़ाई होने का जो सुझाव दिया गया है उसके बारे में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किस समय की लड़ाई बताना चाहत है। क्या जिस दिन की घटना बताई गई है, उस दिन की या जिस दिन स्मेक पीने पर लड़ाई हुई, या उसके पहले की। बाबा शांतिदास की कुटिया पर दोनों पक्षों का आना जाना बताया गया है और फरियादी का बाबा के साथ

गांजा पीना भी स्थापित हुआ है। हालांकि बाबा शांतिदास अ0सा0-2 ने कोई समर्थन नहीं किया है किन्तु उसका कोई कुप्रभाव अभियोजन पर नहीं माना जा सकता है। बचाव का जो आधार लिया गया है वह औपचारिक व निर्बल है। तथा फरियादी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं पुलिस कथानक में कुछ बिन्दुओं पर विरोधाभास की स्थिति अवश्य है इसलिये फरियादी के अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना आवश्यक हो जाता है किन्तु दिये गये सुझावों पर फरियादी अ0सा0-1 का अभिसाक्ष्य सिर से खारिज किये जाने योग्य या अविश्वसनीय माने जाने योग्य नहीं है और प्र0पी0-3 के जप्ती पत्रक को देखते हुए घटना के समय फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर पर लायसेन्सी बारह बोर दुनाली बंदूक थी, यह स्थापित हुआ है।

15. डी0एस0 वैश्य तत्कालीन थाना प्रभारी मौ अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 19.02.13 को थाना प्रभारी मौ के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध लूट की रिपोर्ट करने पर से प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना बताया है। इस बात से इन्कार किया है कि उसने आरोपीगण को फसाने के लिये अपने मन से झूठी एफ0आई0आर0 लिख ली। अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे एफ0आई0आर0 कर्ता के द्वारा मनमाने तरीके से आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखी गई हो क्योंकि अ0सा0-4 का आरोपीगण से कोई पूर्व का विवाद हो, ऐसा नहीं बताया गया है। इसलिये झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 बल्लू उर्फ प्रभाकर अ0सा0-1 तथा एफ0आई0आर0 लेखक अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से संपुष्टि कारक है। किन्तु एफ0आई0आर0 का वृत्तांत विधिसम्मत तरीके से युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है या नहीं, यह अन्य साक्षियों की अभिसाक्ष्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए विश्लेषित करना होगा।

16. प्रकरण में घटना दोनों आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित किया जाना बताई गई है। कथानक मुताबिक आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर का फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर की बंदूक, मोबाईल बलपूर्वक छीनना, कमरे में उन्हें बंद कर देना बताया गया है। रमा उर्फ रमाशंकर की केवल साथ में उपस्थिति बताई गई है। उसके द्वारा विशिष्ट रूप से क्या कृत्य किया गया इस बारे में अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है न ही कथानक में रमा उर्फ रमाशंकर के संबंध में कोई विशिष्ट कृत्य बताया गया है। केवल उसे साथ में होना बताया है। इसलिये आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर के संबंध में सर्वप्रथम निराकरण करना उचित होगा।

17. अ0सा0-1 बल्लू उर्फ प्रभाकर के मुताबिक रमाशंकर का गुड्डा के साथ होना बताया गया है। अनुसंधान के दौरान रमा की प्र0पी0-8 के द्वारा दिनांक 19.02.13 को मौ गोहद रोड से गिरफ्तारी दिन के एक बजे की बताई गई है जिस पर एक नोकिया पुराना काले रंग का मोबाईल मॉडल 1200 और 110 रुपये गिरफ्तारी के समय मिले थे। जबकि फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर के द्वारा जो अपना नोकिया मोबाईल घटना में लूटा जाना बताया गया, उसका मॉडल नंबर-1100 है। अर्थात् रमा उर्फ रमाशंकर पर फरियादी का मोबाईल बरामद नहीं हुआ जिसे लूटा जाना बताया गया है तथा प्र0पी0-5 अनुसार आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन साक्षियों के समक्ष लिया जाना बताया गया है। प्र0पी0-5 के पंच साक्षी फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर का साला अनिल समाधिया अ0सा0-8, दीपू अ0सा0-3 है। दीपू अ0सा0-3 ने प्र0पी0-5 का समर्थन नहीं किया और अनिल समाधिया अ0सा0-8 ने मुख्य परीक्षण में तो प्र0पी0-5

का समर्थन किया है कि रमाशंकर ने उसके सामने पुलिस को मेमोरेण्डम कथन देते हुए बंदूक, मोबाईल, मोटरसाईकिल आरोपी गुड्डा के पास होना बताई थी किन्तु वह पैरा-4 में अपने अभिसाक्ष्य पर स्थिर नहीं है और यह कहता है कि वह जब थाना मौ पहुँचा था तो वहाँ आरोपी रमाशंकर बैठा मिला था। पुलिस उसे कहाँ से पकड़कर लाई थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने रमाशंकर से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी न ही रमाशंकर ने कुछ बताया था। पुलिस वाले अवश्य कह रहे थे कि रमाशंकर से बंदूक बरामद की गई है लेकिन वह बंदूक कहाँ से बरामद करके लाये थे, यह न ता उसे पता है न ही पुलिस ने बताया है और वह बंदूक खुली अवस्था में थाने पर देखना कहता है। उसने पुलिस को प्र0डी0-2 का कथन देते समय उसका ए से ए भाग 'कल दिनांक 18.12.13 -----बहनोई को रिपोर्ट के लिये थाने लाया हूँ।' पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है।

18. कथानक मुताबिक घटना के बाद जब बल्लू उर्फ प्रभाकर बंद कमरे से कुंदी खुलने पर बाहर आया तो वह सबसे पहले अपने साले अनिल समाधिया के घर ग्राम कचनाव कला गया। वहाँ उसने अनिल समाधिया को पूरी घटना बताई फिर उसके साथ रिपोर्ट करने जाना बताया गया है। जैसा कि प्र0डी0-2 के ए से ए भाग का विवरण दिया है जिसका अनिल समाधिया अ0सा0-8 खण्डन करता है और वह तो घटना के विषय में जानकारी मिलने पर सीधे थाने पर पहुँचना बताता है जहाँ उसका बहनोई बल्लू उर्फ प्रभाकर मौजूद मिला। वहीं बल्लू ने उसे घटना बताई वहीं पुलिस अभिरक्षा में आरोपी रमाशंकर बैठा मिला। जबकि ऐसा न तो अभियोजन का कथानक है न ही बल्लू उर्फ प्रभाकर अ0सा0-1 ने बताया है कि उसने थाने पर अपने साले अनिल समाधिया को घटना बताई थी। अनिल समाधिया का जिस तरह का अभिसाक्ष्य आया है वह प्र0पी0-5 की पुष्टि नहीं करता है। रमाशंकर से कोई बंदूक की बरामदगी कथानक मुताबिक नहीं होती है। इसलिये भी अ0सा0-8 का अभिसाक्ष्य रमाशंकर के संबंध में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

19. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

20. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:—

1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।

21. जहाँ तक यह प्रश्न है कि एक अभियुक्त की सूचना को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **पप्पू विरुद्ध स्टेट 2000(2)जे0एल0जे0 पेज-391** में यह

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है।

22. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2009 भाग-1 एम0पी0एच0टी0 पेज-478** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो। उक्त न्याय दृष्टांत विचाराधीन मामले में इस कारण प्रायोज्य किये जाने योग्य है क्योंकि अभिलेख पर आरोपी रमाशंकर के विरुद्ध अन्य कोई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियाँ नहीं आई हैं जो उसे घटना में संलिप्त मानने के लिये पर्याप्त हों। ऐसे में एक सह अभियुक्त के द्वारा धारा-27 के ज्ञापन में उसका नाम बता दिये जाने के आधार पर उसे घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है और धारा-133 साक्ष्य अधिनियम का उपबंध भी लागू नहीं होता है। जैसा कि विशेष लोक अभियोजक का तर्क है क्योंकि धारा-133 साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होने का उपबंध किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि **सह अपराधी-** सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिये अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

23. अभियोजन कथानक मुताबिक रमाशंकर का शांतिदास बाबा की कुटिया से बाहर आने के बाद का ही उल्लेख है। उसके बारे में ऐसी साक्ष्य का भी संकलन भी नहीं है कि सह अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के द्वारा फरियादी बल्लू की छिनी गई बंदूक को जब गुड्डा लेकर गया तो रमाशंकर ने उसका किसी प्रकार का सहयोग किया हो या वह साथ में रहा हो। प्र0पी0-5 की कार्यवाही उपनिरीक्षक विजयसिंह अ0सा0-6 ने करना बताई है किन्तु जैसा कि उपरोक्तानुसार धारा-27 साक्ष्य विधान के संबंध में वैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है उसे देखते हुए प्र0पी0-5 के आधार पर उक्त विचाराधीन घटना का आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर की संलिप्तता नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि सह अभियुक्त का धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन को उक्त आरोपी के संदर्भ में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तथा यदि आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर घटना में शामिल हुआ तो उसके पास बताई गई लूट की वस्तुओं में से कोई वस्तु अवश्य हिस्से में प्राप्त होती। जबकि स्वयं अभियोजन कथानक मुताबिक ही आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर के पास लूट की कोई वस्तु न तो प्राप्त हुई न ही बरामद हुई। ऐसे में प्र0पी0-5 एवं 6 के आधार पर आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर का लूट की घटना में सह अभियुक्त के रूप में सम्मिलित होना प्रमाणित नहीं होता है और उसके संबंध में अभियोजन का मामला संदिग्ध है। फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय को कमरे में बंद करके सदोष परिरोध कारित किये जाने की बताई गई घटना में भी उसका कोई ओवरएक्ट नहीं बताया गया है। ऐसे में आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर उक्त विचाराधीन सभी आरोपों से संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने का पात्र है। फलतः आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर को विरचित आरोपों धारा-342, 392, 392/397 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

24. जहाँ तक आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर पर किये गये आक्षेपों का प्रश्न है, उसके संबंध में फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय अ0सा0-1 के द्वारा दी गई यह

साक्ष्य अखण्डनीय रही है जिसमें वह आरोपी गुड्डा के द्वारा उसकी बंदूक छुड़ा लेना बताता है। प्रतिपरीक्षा में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आया है और एफ0आई0आर0 नामजद की गई थी। जिसमें भी गुड्डा के द्वारा ही बंदूक छुड़ाना बताया गया है। किन्तु फरियादी अ0सा0-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर ने उसकी बंदूक छीनकर उसकी छाती पर अड़ाई हो और ऐसा बोला हो कि मादरचोद यहीं पर पड़ा रहना। इसलिये लूट की घटना तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय के प्रयत्न के साथ कारित किया जाना उसके विरुद्ध संदिग्ध हो जाता है तथा अन्य कोई साक्ष्य भी ऐसी नहीं है कि जो यह स्थापित करे कि आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर ने फरियादी की लायसेन्सी बंदूक फरियादी से छीनकर उसकी छाती पर अड़ाई हो और उसे तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय में डाला हो या उसका कोई प्रयत्न किया हो। ऐसे में आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के विरुद्ध धारा-397 भा0द0वि0 का अपराध कतई प्रमाणित नहीं होता है जिस में दोषमुक्ति का पात्र है। अतः उसे विकल्प में लगाये गये आरोप धारा-392/397 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

25. जहाँ तक लूट की पुष्टि का प्रश्न है, आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर को कथानक मुताबिक उसकी दिनांक 28.02.13 को प्र0पी0-6 अनुसार रतवा तिराहा से गिरफ्तारी की जाना बताया गया है। तत्पश्चात उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर की गई पूछताछ में उक्त आरोपी के द्वारा धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत प्र0पी0-7 के मेमोरेण्डम में दी गई जानकारी के आधार पर प्र0पी0-9 मुताबिक उक्त आरोपी के घर से उसके पेश करने पर फरियादी की वह लायसेन्सी बंदूक जिसका लायसेन्स प्र0पी0-3 द्वारा जप्त हुआ था उसे मय एक जीवित कारतूस के जप्त करना बताया गया है जिसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसे देखा जाये तो आरोपी रणवीर उर्फ गुड्डा की जप्ती, मेमोरेण्डम और गिरफ्तारी के साक्षी आरक्षक पुरुषोत्तम एवं गुरुदास सोढी हैं। पुरुषोत्तम अ0सा0-5 के रूप में और गुरुदास सोढी अ0सा0-7 के रूप में परीक्षित हुए हैं था प्र0पी0-6, 7 एवं 9 की कार्यवाही उपनिरीक्षक विजय सिंह अ0सा0-6 ने करना बताई है जिसका समर्थन पुरुषोत्तम अ0सा0-5 और गुरुदास सोढी अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में की है। उनके अभिसाक्ष्य पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे विवेचक के अधीनस्थ पुलिस कर्मी थे तथा उनके अभिसाक्ष्य में यह तथ्य अवश्य आया है कि थाने के पास से आम रास्ता है। आवागमन होता रहता है और आसपास बस्ती भी है तथा थाने पर जनता का व्यक्ति बुलाया जाये तो उपलब्ध हो सकता है। जैसा कि पुरुषोत्तम अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। किन्तु जनता के किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर न बुलाये जाने से पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। न्याय दृष्टांत **रोशनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम 0पी0 2005 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-292** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि कोई साक्षी पुलिस कर्मचारी हो, मात्र इसी आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है और विधि में कोई ऐसा नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती हो। तथा न्याय दृष्टांत **गिरधारी लाल गुप्ता विरुद्ध डी0एन0 मेहता ए0आई0आर0 1971 सुप्रीमकोर्ट पेज-28** में यह सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस साक्षी पर अविश्वास किये जाने का कोई नियम नहीं है और उसकी साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से विचार होना चाहिए। पुष्टि के अभाव में अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। इसलिये

पुरुषोत्तम अ0सा0-5 और गुरुदास अ0सा0-7 को अविश्वसनीय साक्षी आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के प्र0पी0-6, 7 एवं 9 के संबंध में नहीं माना जा सकता है और गुरुदास अ0सा0-7 ने तो अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-3 में बचाव पक्ष के सुझावों का समुचित उत्तर देते हुए आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के द्वारा अपने घर के कमरे में से 12 बोर बंदूक जप्त कराना बताया है। यह भी कहा है कि वह भी आरोपी के घर के अंदर गया था और प्र0पी0-9 मुताबिक आरोपी के घर से फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय की लायसेन्सी बारह बोर बंदूक की बरामदगी की गई है तथा प्र0पी0-6, 7 एवं 9 की कार्यवाही के विवेचक उपनिरीक्षक विजय सिंह अ0सा0-6 ने स्पष्ट साक्ष्य दी है और प्रतिपरीक्षण के पैरा-6 में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जो कि उसकी कार्यवाही को संदिग्ध बनाते हों। विवेचक ने आम जनता के साक्षियों के न होने के संबंध में भी स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा है कि आरोपी के विरुद्ध गवाही देने से लोग डरते थे इसलिये कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ जिसका भी कोई खण्डन नहीं है।

26. अ0सा0-5 लगायत 7 के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मों अनेक मामलों में साक्षी होते हैं ऐसे में उनकी स्मृति धूमिल हो सकती है इस कारण किसी बिन्दु पर अन्तर्विरोध भी आ जाये तो उससे संपूर्ण साक्ष्य का अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे भी पुलिस कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता है तथा अ0सा0-5 लगायत 7 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-6, 7 एवं 9 की कार्यवाही प्रमाणित होती है। आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के द्वारा दी गई विशिष्ट जानकारी के आधार पर बंदूक की बरामदगी हुई। ऐसे में बंदूक बरामदगी के बिन्दु पर प्र0पी0-7 का धारा-27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन भी संदेह से परे प्रमाणित होता है और आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके आधिपत्य में फरियादी बंदूक कैसे आई। आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर की ओर से ऐसा भी कोई बचाव का आधार नहीं लिया गया है कि जिस मकान से बंदूक बरामद हुई वह उसके नियंत्रण में नहीं था। या उसका उस पर कोई आधिपत्य नहीं था। चूंकि बंदूक लायसेन्सी है, स्वीकृत तौर पर फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय को सुपुर्दगी पर प्राप्त है इसलिये बंदूक का साक्ष्य में प्रस्तुत न होना अभियोजन के मामले को दूषित नहीं बनाता है। और न ही बंदूक साक्ष्य के दौरान पेश न होने का कोई आधार बचाव पक्ष की ओर से लिया गया है।

27. फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य में इस बिन्दु पर अवश्य भिन्नता आई है कि कथानक मुताबिक आरोपीगण का गांव के रास्ते में मिलना बताया गया है। वहीं से फरियादी को उन्होंने अपनी मोटरसाईकिल पर बैठा लिया और दंदरौआ मंदिर छोड़ने की बात कही जबकि फरियादी अ0सा0-1 द्वारा जीरो रोड पर आरोपीगण का मिलना और वहाँ से मोटरसाईकिल पर बैठना बताया गया है, यह विरोधाभाष अवश्य है किन्तु यह विरोधाभाष इस श्रेणी का नहीं है कि जिससे पूरी घटना को संदिग्ध बनाता हो। इसलिये उक्त विरोधाभाष के आधार पर अ0सा0-1 के संपूर्ण अभिसाक्ष्य का न तो त्यागा जा सकता है न ही अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई भी विषंगतिपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं हुआ है।

28. इस प्रकार से अभिलेख पर आई साक्ष्य से फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय की 12 बोर लायसेन्सी बंदूक लूटी जाना, उसका आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के आधिपत्य से बरामद होना कड़ी के रूप में जुड़ता है जिससे आरोपी का बंदूक लूट की घटना को डकैती प्रभावित क्षेत्र में कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है जिससे आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के विरुद्ध धारा-392 भा0द0वि0 एवं डकैती प्रभावित

क्षेत्र होने से धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोप संदेह से परे प्रमाणित पाये जाते हैं। अतः आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर को धारा-392 भा0द0वि0 एवं डकैती प्रभावित क्षेत्र होने से धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोपों में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

29. जहाँ तक सदोष परिरोध कारित करने का आरोप है, कथानक मुताबिक फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय को शांतिदास बाबा की कुटिया में बाबा सहित बंद कर देना बताया गया है और आरोपीगण के चले जाने के बाद शोर करने पर गांव वालों के द्वारा कुंदी खोलना बताया गया है। जबकि इस बिन्दु पर फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर उपाध्याय अ0सा0-1 के द्वारा पंचायत भवन के कमरे में बंद कर देना, रात भर बंद रहना, सुबह किसी के द्वारा कुंदी खोलने पर निकलना बताया गया है। पंचायत भवन के कमरे में बंद करने का अभिसाक्ष्य अ0सा0-1 ने विकास करते हुए दिया है जिसकी पुष्टि में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है तथा वह पंचायत भवन के कमरे से निकलकर सीधा थाने जाना कहता है। जबकि कथानक मुताबिक बाबा की कुटिया से कुंदी खोलने पर बाहर निकलने और अपने साले के पास जाने और फिर उसके साथ थाने जाने की बात बताई है। इसी कारण घटना जो कि दिनांक 17.02.13 के शाम के समय की है। उसकी एफ0आई0आर0 दिनांक 19.02.13 को लिखाई गई। ऐसे में आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के विरुद्ध भी सदोष परिरोध की घटना कारित किये जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं आई है। और इस बिन्दु पर अभियोजन कथानक तथा फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर का अभिसाक्ष्य पूर्णतः विरोधाभासी होने से स्वीकार योग्य और विश्वसनीय माने जाने योग्य अवश्य नहीं है। जिससे सदोष परिरोध की घटना संदेह के परे प्रमाणित नहीं होती है। फलतः आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर को धारा-342 भा0द0वि0 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

30. इस प्रकार से आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के विरुद्ध धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 का आरोप प्रमाणित पाया गया है। शेष आरोपों में उसे दोषमुक्त किया गया है। लूट की घटना अपने आप में गंभीर श्रेणी का अपराध है तथा ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जिससे आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के किसी प्रावधान का कोई लाभ दिया जा सके। इसलिये दोषसिद्ध अपराध में दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर एवं अभियोजन को सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी0सी0 आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती

गोहद जिला भिण्ड

—::— दण्डाज्ञा —::—

31. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी रणवीर उर्फ गुड्डा के विद्वान अधिवक्ता को एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने गये। विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि अपराध गंभीर है और लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कड़ा दण्ड दिया जावे। जबकि आरोपी रणवीर उर्फ गुड्डा के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी

गृहस्थ व्यक्ति है और शांतिप्रिय व्यक्ति है और खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी कोई पूर्व की दोषसिद्धि नहीं है उनके द्वारा लूट डकैती की कोई घटनाएं नहीं की गयीं थी तथा वे प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित रहकर अभियोजन का सामना करते चला आ रहा है और न्यायिक निरोध में भी हैं इसलिये उसपर दया का भाव रखते हुए काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि से या जुर्माने से दण्डित कर छोड़ दिया जावे ताकि उसका भविष्य बरवाद न हो और परिवार संकटापन्न न हो।

32. उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया। अभिलेख व अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर भी विचार किया गया। अभिलेख पर आरोपी रणवीर उर्फ गुड्डा के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का प्रमाण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है। जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि अवश्य होती है किन्तु आरोपी के द्वारा पूर्व की जान पहचान के आधार पर फरियादी को धोखे में रखकर फरियादी बल्लू उर्फ प्रभाकर की लाइसेंसी बंदूक छीनकर ले गया। जिससे लूट स्वेच्छापूर्वक कारित की गयी है। लूट की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए दोषसिद्ध आरोपी रणवीर उर्फ गुड्डा के संबंध में उदार रूख अपनाया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं होगा, बल्कि यथोचित दण्ड आवश्यक है। इस दृष्टि से उक्त आरोपी के द्वारा न्यायिक निरोध के दौरान भोगी गयी न्यायिक अवधि भी पर्याप्त दण्डादेश नहीं मानी जा सकती है इसलिये रणवीर उर्फ गुड्डा के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। तथा केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर दोषसिद्ध अपराधों में छोड़ा जाना विधिक रूप से भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं और इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ़ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03 जे.एल.जे.(एस.सी.) पेज-277** अवलोकनीय है। जिसमें यह अवधारित किया है कि सामाजिक रूप से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाये जाने एवं लोगों की धारणा में परिवर्तन लाये जाने के उद्देश्य से तथा समाज सुरक्षित रह सके तथा विधि की समाज में पृतिष्ठा कायम हो सके इस दृष्टि से उचित दण्ड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है।

33. इस तरह से समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त सभी आरोपी रणवीर उर्फ गुड्डा को धारा-392 भा0दं.वि0 सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट 1981 के अपराध के लिए पांच साल के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। विचारण के दौरान काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि धारा-428 द.प्र.सं.के तहत प्रमाणपत्र में जोड़ी जावे। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में व्यतिक्रम में 06 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। आरोपी रणवीर उर्फ गुड्डा को निर्णय की निःशुल्क नकलें प्रदाय की जावें।

34. आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर का भी धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

35. प्रकरण में जब्तशुदा बंदूक 12 बोर दुनाली बंदूक व एक राउण्ड पूर्व से फरियादी को सुपुर्दगी पर दी गयी है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भार लाठी मूल्यहीन संपत्ति होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावें। आरोपी रमा उर्फ रमाशंकर से गिरफ्तारी के समय एक नोकिया 1200 एवं 110 रुपये नगद जब्त किए गये थे, उक्त आरोपी सभी आरोपों से दोषमुक्त हुआ है इसलिये उससे जब्त नोकिया 1200

मोबाइल और जब्त 110 रुपये अपील अवधि पश्चात विधिवत वापिस किए जावें । अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य हो ।

36. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 21 / 06 / 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)